

शाह ने हजारिका
को उनकी जयंती
पर किया नमन

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुभेन्दु हजारिका को भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका जी को उनकी जयंती पर नमन किया। शाह ने आज एक्स पर लिखा, भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका जी की जयंती पर उन्हें नमन करता है। हजारिका जी पूरे विश्व में भारत के सांस्कृतिक दूर थे जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से न सिर्फ असमिया सास्कृति को विश्व मंच पर पहुंचाया बल्कि गीत-संगीत को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनाया। समरसता के प्रति उनका सदेश हमें संदेश एक बेहतर भवियत की दिशा में संकलित रखने के लिए प्रेरित करता। आठ सितंबर 1926 में असम में जन्मे डॉ. हजारिका असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार और विलक्षण कलाकार थे। वह अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित संस्कृति दूरों में से एक माना जाता है। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया।

गादव लोग जब बीते हैं न,
तो रोने नहीं देते हैं,
शिवापाल का ओमप्रकाश
राजभर पर तंज

लखनऊ। सपा महासचिव शिवापाल ने ओमप्रकाश राजभर के यादव पर विवादित बयान पर प्रलटकार किया है। शिवापाल यादव ने कहा कि राजभर को अपनी बात याद कर लेनी चाहिए जब उन्होंने कहा था कि यादव लोग जब बीते हैं न, तो रोने नहीं देते हैं। बस इन्हीं बात याद है। दरअसल, शिवापाल यादव ने ये बातें मैनपुरी में पत्रकारों से कहीं। इससे पहले शिवापाल सिंह यादव ने ओमप्रकाश राजभर पर निशाना सातों हूँ कहा कि उनके जैसे नेता चुनाव जीतकर दलाली करते हैं। आपको बता दें कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यादव बिरामी को लेकर विवादित बयान दिया था। राजभर ने वाराणसी जिले की चोलापुर थाने के यादव थानाध्यक्ष से एक विवाद के मसले पर हुई बातचीत में यह बोल था कि गांव में लोग कहते हैं कि अहींरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है।

जी-20 की शुरुआत से पहले ही रूस पर राजनीति तेज, यूरोपीय यूनियन बोला- बतावि फिर पता चला

यूरोपीय यूनियन यूक्रेन पर रूस के हमलों का विरोध करता रहा है और यूक्रेन पर युद्ध थोपने के बाद कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगा चुका है। यूक्रेन संकट के बाद अक्सर बढ़े रहने वाले यूरोपीय संघ में एक अभूतपूर्व किसी वरी एकता देखने की मिली है।



2024 से पहले उत्तराखण्ड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

सीएम धामी ने कर दिया ऐलान



देहरादून। उत्तराखण्ड के मूल्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में जल्द ही सामन नारिक सहित जल्द ही लागू हो जाएगा। यूरोपीय-यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने ने एक कमटी बढ़ावा दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि कमटी के आधा पर ही यूरोपीय लागू किया जाएगा। 2024 से पहले उत्तराखण्ड में हर हाल में यूरोपीय लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि कमटी के सरस्ट्रों में घर-घर जाकर लोगों की राय ली गई प्रक्रिया है। कहा जा रहा कि उत्तराखण्ड सरकार की ओर से 2024 से पहले यूरोपीय हर हाल में लागू हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि देश में यूरोपीय लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखण्ड है। जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून में आयोजित 'हिन्दुकुश शिवायम-2023' में सीएम धामी ने सभी चेतावनी को सांचारिश की। सीएम धामी ने सफाईर से कहा कि 2024 से पहले उत्तराखण्ड में हर हाल में यूरोपीय लागू कर दिया जाएगा। यूरोपीय लागू करने से पहले कमटी के सदस्यों ने गांव-गांव जाकर लोगों की राय भी जानी है। अतिकरण देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के स्वरूप से छेदछाड़ किसी पर भी बोलते ही सीएम धामी कहा कहना था कि लैंड भी सूरत में बदर्शत नहीं किया जाएगा। कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से यह वायदा किया गया था कि उत्तराखण्ड के विकास के लिए किसी भी कठोर कदम उठाने में वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे।

अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखे या बताएं
और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाइल:-987914180 या फोटा, वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस

**क्रांति समय दैनिक समाचार
में प्रेसनोट, नोटिस, वेपार
संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com**

देश

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com

कार्यालय ऑफिस

**क्रांति समय दैनिक समाचार
भारत के अन्य राज्यों में जिला व्यूरों
और अन्य शहर, ग्राम में पत्रकारों
की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com**

लाए गए यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए भी अपने द्वारा खोले हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप ने खुद को रणनीतिक रूप से पुनर्गठित किया है, लेकिन सुरक्षा के लिए

- बता दे कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन पर रूस के हमलों का विरोध करता रहा है और यूक्रेन पर युद्ध थोपने के बाद कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगा चुका है। यूक्रेन संकट के बाद अक्सर बढ़े रहने वाले यूरोपीय संघ में एक अभूतपूर्व किसी वरी एकता देखने की मिली है।

अमेरिका और ऊर्जा बोर्ड के देशों में सुधा, समुद्र और सतत विकास सुनिश्चित करने में भारत और यूरोपीय संघ के साझा हित है। भारत और यूरोपीय संघ दोनों सतत विकास के लिए 2030 एजडा और पैरिस समझौते के अनुरूप एक सुरक्षित, हारित, स्वच्छ, डिजिटल, अधिक लचीला और स्थिर दुनिया में संयुक्त रूप से योगदान देने के लिए नए तालमेल को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।

यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (अमेरिका के बाद) और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियर्यात बाजार है। भारत यूरोपीय संघ का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका यूरोपीय संघ के कुल माल व्यापार में 2 प्रतिशत योगदान है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच संवादों का व्यापार 2021 में 40 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था।

को अंततः आरोपी बनाया जा सकता है, एलओसी को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं। सिंघल का मामला यह था कि उन्हें रूपांतर के बारे में तब पता चला जब वह स्पेन की यात्रा के लिए मुबारू हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्हें विदेश यात्रा करने का अधिकार छीन लेता है। कोर्ट ने कहा कि लैंड केन्द्रों से सैसा बसुलन के उपयोग के रूप में लूक आउट सर्कुलर का उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून के तहत उपलब्ध उपयोग पर्याप्त नहीं है। जर्सिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठे ने व्यवस्था दी है कि ऐसे सरकारी में एलओसी जारी की जा सकती है, जब पर्याप्त कारण हों। उन्होंने कहा कि एसीएसी एलओसी जारी करने के लिए कोई पूर्व शर्त है, तो उसे उसमें दिया जाना चाहिए। लाइव लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा, +यह अच्छी तरह से स्पष्टित है कि लूक आउट सर्कुलर की वैधता उस तरीख को मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्याचार किया जाना चाहिए, जिस दिन लूक आउट सर्कुलर का उपयोग केवल धन की वसूली के उपयोग के रूप में नहीं कर सकते हैं। जर्सिस प्रसाद ने बैक ऑफ बैडून के कहने पर निपुण सिंघल के खिलाफ जारी किया गया है।



सर्कुलर खोले जाने से पहले कोई ठेस समाजी होने के बिना +भारत के अधिक हित को नुकसान- जैसे वाक्यांशों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और निश्चित रूप से बैक लूक आउट सर्कुलर का उपयोग केवल धन की वसूली के उपयोग के रूप में नहीं कर सकते हैं। जर्सिस प्रसाद ने बैक ऑफ बैडून के कहने पर निपुण सिंघल के खिलाफ जारी किया गया है।